अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील सं0–04/2026
मो0 एजाज
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–

मो0 शमिमुल होदा एवं
अनुज कुमार .... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
शहजाद हसन खान एवं
असलम अंसारी .... बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

अपीलार्थी मो0 एजाज अहमद, पिता–मो0 नसीम, पता–पोखरिया, वार्ड नं0–35, पो0+थाना+जिला–बेगुसराय ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के अध्यक्ष के आदेश ज्ञापांक 287, दिनांक 19.01.2026 के विरूद्ध यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा बोर्ड के कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक 1724, दिनांक 01.06.2020 को वापस लेते हुए कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत ज्ञापांक 7754–60, दिनांक 20.08.2019, जो प्रतिवादी सं0–9 से 13 के नियुक्ति अनुमोदन पत्र से संबंधित है, को बरकरार रखा गया एवं मदरसा में कोई अनुमोदित प्रबंध समिति के कार्यरत नहीं होने के मद्देनजर उक्त प्रतिवादियों का वेतन विपत्र तैयार कर संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को प्रस्तुत करने का मदरसा के प्रभारी प्रधान मौलवी को निर्देश दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.05.2026 की सुनवाई के क्रम में एक आवेदन अपीलीय प्राधिकार को प्रस्तुत कर बताया गया कि अपीलार्थी एवं प्रतिवादियों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अदालत के बाहर समझौता कर लिया है, जिसके आलोक में यह अपील Infructuous हो गया है। उक्त के मद्देनजर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील को वापस लेने का अनुरोध किया है।

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 06.05.2026 की सुनवाई में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अपील को वापस लेने के अनुरोध का समर्थन किया तथा इस अपील की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया।

निष्कर्षः– उपस्थित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। सभी पक्षों के मौखिक बहस, लिखित कथन एवं संचिका में रक्षित साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी मो0 एजाज अहमद, पिता–मो0 नसीम, पता–पोखरिया, वार्ड नं0–35, पो0+थाना+जिला–बेगुसराय ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के अध्यक्ष के आदेश ज्ञापांक 287, दिनांक 19.01.2026 को इस अपील में चुनौती दी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 06.05.2026 की सुनवाई के क्रम में एक आवेदन अपीलीय प्राधिकार को प्रस्तुत कर बताया कि अपीलार्थी एवं प्रतिवादियों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अदालत के बाहर समझौता कर लिया है, जिसके आलोक में यह अपील Infructuous हो गया है। उक्त के मद्देनजर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील को वापस लेने का अनुरोध किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अपील को वापस लिए जाने का बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थन किया गया।

उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस अपील को वापस लेने की स्वीकृति दी जाती है एवं इसकी सुनवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं सत्यापित।

Vijay 18/5

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 65 दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/मो0 एजाज अहमद, पिता–मो0 नसीम, पता–पोखरिया, वार्ड नं0–35, पो0+थाना+जिला–बेगुसराय/मो0 नुरूल इस्लाम, तत्कालीन सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा बदरूल इस्लाम, डॉ0 एम0 अख्तर रोड, बेगुसराय, पिन–851101/प्रभारी प्रधान मौलवी, मदरसा बदरूल इस्लाम, डॉ0 एम0 अख्तर रोड, बेगुसराय, पिन–851101/अब्दुल जब्बार, सेवानिवृत प्रधान मौलवी, मदरसा बदरूल इस्लाम, डॉ0 एम0 अख्तर रोड, बेगुसराय, पिन–851101/मो0 नेहाल खान, पिता–मो0 मंसुर खान, पता–दुरा, पो0–तिलौथ, जिला–बेगुसराय/मो0 रोहुल्लाह, पिता–मो0 ओबेदुल्लाह, पता–मुंगेरिगंज, वार्ड नं0–33, जिला–बेगुसराय/मो0 इजराइल, पिता–मो0 सुलेमान, पता+पो0–साही टोला, देहुलिया, जिला–खगड़िया/मो0 इस्तीयाक अहमद, पिता–एम0 मुस्तफा अहमद, पता–बाशी टोला भेलवा, थाना–चेरिया बरियारपुर, जिला–बेगुसराय/नुजहत राशिद, पिता–मो0 हारून राशिद, पता–पोखरिया, वार्ड नं0–35, जिला–बेगुसराय/फिरोज अहमद, मदरसा अशादुल उलूम, सज्जाद नगर, लारूआरा, बेगुसराय/हबीबुल्लाह, मदरसा सुल्तानिया, लखमिनिया, बेगुसराय/मो0 अब्दुल कलाम, मदरसा हदायातल इस्लाम, बहँगवा, बेगुसराय/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगुसराय/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बेगुसराय/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 18/5

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।